संख्या: 2/2018 @जी- 1- 72 /दस- 2018- 207/98

प्रेषक,

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्य एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-। लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2018

विषय: वेतन से सम्बद्ध मानदेय के अवशेष के भुगतान के समबन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्यु विषयक शासनादेश संख्या: जी- 1- 81 / दस- 2010- 207/98 , दिनांक: 08. 02. 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत वाहन चालकों को दिनांक 01. 01. 2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप मानदेय के उन प्रकरणों में जहॉ एक निश्चित अवधि के अपुनरीक्षित वेतन के समतुल्य भुगतान किया गया है, पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय के भुगतान की स्वीकृत प्रदान की गयी है।वर्तमान में दिनांक: 01.01.2016 से वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप उ0प्र0 राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत वाहन चालकों द्वारा मानदेय के उन प्रकरणों में जहॉ एक निश्चित अवधि के अपुनरीक्षित वेतन के समतुल्य भुगतान किया गया है, पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय के भुगतान की मांग की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाहन चालकों द्वारा की की जा रही मांग पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक: 01 जनवरी, 2016 से वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप मानदेय के उन प्रकरणों में जहॉ एक निश्चित अवधि के अपुनरीक्षित वेतन के समतुल्य भुगतान किया गया है, पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय के भुगतान की सहर्ष स्वीकृत प्रदान की जाती है।

भवदीय,
(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव

पृष्ठांकनसंख्या : जी- 1- 72 /दस- 2018- 207/98

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार- 1, 2 एवं 3 , उ0प्र0 इलाहाबाद/लखनऊ ।
(2) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(4) श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सचिव, विधान सभा/परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।